

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसु

नाम गणेश बनाम

संख्या / वर्ष : 194 / 2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/4/24	<p>पतावली कक्षा द्वारा वकील प्रार्थी उपा. अग्रार्थीगण को डाक से सम्मन भेजे एक माह ले अद्विड का समय दो युक्त है। सम्मन अद्विड तामिल लोल्कर प्राप्त नहीं हुए अतः तामिल सम्मन मानी जाती है।</p> <p>सम्मन तामिल के उपरान्त भी अग्रार्थीगण धर्जिर नहीं हुए अतः इनके पिरुड एकपक्षीय कार्यवाही असल में धरि जाती है।</p> <p>कदल वकील प्रार्थी की पुत्री गरीब वकील प्रार्थी की कदल के आधार पर अन्तरिम आदेश दिनांक 22/9/20 को तामिलवादा ल्यायी किता जाता है।</p> <p>पतावली केवल शुमार होकर दर्ज नम्बर ले कम है।</p> <p style="text-align: right;">दि. 13/4/24 सपरखण्ड अधिकारी चाकसु, चाकसु (उर)</p>	